



पंचदश विहार विधान सभा

घोड़श सत्र

ध्यानाकर्षण सूचना

निम्नलिखित ध्यानाकर्षण सूचनायें विहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमाबली के नियम-104(3) के अन्तर्गत दिनांक-26.03.2015 के लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा स्वीकृत की गयी है।

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विधय	विभाग
1	2	3	4

1. श्री विनोद नारायण झा,
संविठ्स०
श्री अरुण शंकर प्रसाद,
संविठ्स०
श्री रामदेव महतो,
संविठ्स०
श्री राम नरेश यादव,
संविठ्स०
- "जिला पदाधिकारी, मधुबनी की अध्यक्षता में दिनांक-30.12.2014 को क्रय योजना समिति की बैठक में निविदा के उपरान्त सेससें जय-भैस्व पट्टो एजेंसी, मधुबनी को एक वर्ष के लिये 2,31,500.00 रुपया प्रति सोलर लाईंट निर्धारित दर पर अधिष्ठापन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी थी, जिसमें माननीय सांसद एवं विधान मंडल सदस्यों को अनुशंसा पर अधिष्ठापित कराने का निर्णय लिया गया। क्रय समिति के निर्णय के आलोक में जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी ने पत्रांक-39, दिनांक-14.01.2015 द्वारा संयुक्त निदेशक, योजना एवं विकास विभाग, पटना से मार्गदर्शन की मांग की है। उक्त मार्गदर्शन में माननीय सांसद हुक्मदेव नारायण यादव, माननीय सदस्य विधान परिषद रामलक्षण राम 'रमण' एवं माननीय सदस्य, विहार विधान सभा अरुण संकर प्रसाद की अनुशंसा के आधार पर सोलर लाईंट अधिष्ठापित कराये जाने की चर्चा की गयी थी। परन्तु, माननीय सांसद की अनुशंसा पर जिला योजना पदाधिकारी, मधुबनी के ज्ञापांक-89, दिनांक-29.01.2015 द्वारा योजना की स्वीकृति प्रदान की गयी, होकिन माननीय सदस्य, विधान मंडल के अनुशंसा की स्वीकृति नहीं दी गयी।

अतः उक्त दोषी पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने पर्व उक्त निविदा के आधार पर शीघ्र सोलर लाईंट की स्वीकृति दिलाने हेतु हम सरकार को अपने आकृष्ट करते हैं।"

क्र० सं०	सदस्य का नाम	विषय	विभाग
1	2	3	4
2.	श्रीमती रेणु कुमारी, स०वि०स०	"गव्य में बाहनों की जांच के अभाव में बढ़ते दुष्टता एवं प्रदूषण को देखते परिवहन हुए केन्द्रीय मोटर वाहन अधिनियम-1988 की धारा-56 एवं केन्द्रीय मोटर वाहन नियमावली के नियम-62 से 72 के प्रावधान के तहत बाहनों की सही जांच कर दुरुस्ती प्रमाण-पत्र निर्गत करने हेतु बाहित अहतीधारक 40 अधिवक्ताओं / उचितियों को फिल्मेस सेंटर स्थापित करने का प्राधिकार पत्र दिया गया, जो सुचारू रूप से संचालित था। परन्तु साजिश के तहत विभागीय अधिसूचना संख्या-730, दिनांक-06.02.2015 द्वारा उक्त अधिकार को समाप्त कर दिया गया, जो उत्तरी-दक्षिण धाराओं / नियमों के प्रतिकूल है। इस आदेश से जहाँ एक और सभी संचालकों को आधिक नुकसान हुआ, वहाँ दूसरी ओर 300 से अधिक परिवार भूखमरी के शिकार हो जायेंगे।	
	श्रीमती मंजू वर्मा, स०वि०स०	गव्य में बाहनों की बड़ती संख्या के कारण 1000 जांच केन्द्र की आवश्यकता है जबकि सरकार के पास समर्पय जांच की कोई अवस्था नहीं है। एम०भी०आई० के भरोसे इस कार्य का सम्पादन हास्याम्पद होगा। समर्पय दुरुस्ती प्रमाण-पत्र न देने से जहाँ सरकारी गव्यवाल की हानि होगी, वहाँ वाहन स्वामियों को अत्यधिक कठिनाइयाँ एवं आधिक नुकसान भी होगा।	
	श्रीमती कुमारी मंजू वर्मा, स०वि०स०	अतएव बेरोजगारी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला उक्त आदेश को निरस्त करने हेतु हम सरकार का व्यापारकृप्त करते हैं।"	

हरेराम मुख्या

प्रभारी सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/15-

56/

/ विंस०, पटना, दिनांक-25 मार्च, 2015 ई०।

प्रति :- बिहार विधान सभा के सदस्यगण / मुख्य मंत्री / मीत्रगण / मुख्य सचिव, बिहार एवं राज्यपाल
के प्रधान सचिव / लोकायुक्त के आप सचिव / कार्यकारी सचिव, बिहार विधान परिषद् / महाधिवक्ता, बिहार,
पटना / संसदीय कार्य विभाग / योजना एवं विकास विभाग तथा परिवहन विभाग के सूचनार्थ एवं आवश्यक
कार्रवाई हेतु प्रेषित।

८८८/२५/३/१५

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

ज्ञाप संख्या-ध्या०प्र०-11/15-

56/

/ विंस०, पटना, दिनांक-25 मार्च, 2015 ई०।

प्रति :- उप सचिव, अध्यक्षीय कार्यालय / अपर आप सचिव, उपाध्यक्षीय कार्यालय / अवर सचिव,
सचिवीय कार्यालय को छापशः माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय उपाध्यक्ष महोदय एवं प्रभारी सचिव, बिहार
विधान सभा के सूचनार्थ प्रेषित।

८८८/२५/३/१५

(भूषण कुमार झा)

उप सचिव,

बिहार विधान सभा, पटना।

८८८/२५/३/१५